भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +2378

सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

नीलगिरी में पर्यटन का विकास

+2378. श्री ए. राजा:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर तमिलनाडु में घरेलू और विदेशी पर्यटकों को अधिक संख्या में आकर्षित करने के लिए कोई नई योजनाएं प्रस्तावित है;

(ख) क्या ग्रामीण और साहसिक पर्यटन पर जोर देते हुए तमिलनाडु के नीलगिरी में पर्यटन स्थलों को और अधिक बुनियादी सुविधाओं के साथ पुनर्निमित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तमिलनाडु, विशेषकर नीलगिरी में पर्यटन के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार की मदद की जाएगी; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पर्यटन मंत्रालय 'आतिथ्य सहित घरेलू संवर्द्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच)' और 'बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्द्धन एवं प्रचार' (ओपीएमडी) योजनाओं के माध्यम से तमिलनाडु सहित भारत का समग्र रूप से संवर्धन करता है। इन योजनाओं के तहत पर्यटन मंत्रालय देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय देश के भीतर घरेलू पर्यटन के संवर्द्धन तथा प्रचार के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाता है। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य पर्यटन स्थलों और उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ-साथ आला पर्यटन उत्पादों पर फोकस के साथ

देश के भीतर पर्यटन का संवर्द्धन करना, सामाजिक जागरूकता संदेशों का प्रसार करना और पर्यटन क्षमता वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है।

(ख) से (ड.): पर्यटन का विकास और उसका संवर्द्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' की अपनी योजनाओं के तहत तमिलनाडु सहित देश में पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन योजनाओं के अंतर्गत विकास हेतु परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से की जाती है और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति, योजना दिशा निर्देशों के अनुपालन तथा पूर्व में जारी निधियों की उपयोगिता की शर्त पर उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के तहत तमिलनाडु में स्वीकृत की गई अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

स्वदेश दर्शन

क्रम संख्या	**परियोजना एवं परिपथ का नाम**	**स्वीकृति का वर्ष**	**अनुमोदित लागत (रुपए)**
1	तटीय परिपथ (चेन्नई-मामल्लापुरम-रामेश्वरम-मनपाडु-कन्याकुमारी) का विकास	2016-17	73.13 करोड़

प्रशाद (तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन)

क्रम संख्या	**परियोजना का नाम प्रशाद योजना के) (तहत**	**स्वीकृति का वर्ष**	**अनुमोदित लागत (रुपए)**
1	कांचीपुरम का विकास	2016-17	13.99 करोड़
2	वेलंकन्नी का विकास	2016-17	4.86 करोड़

केंद्रीय एजेंसी योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाएं

क्रम संख्या	**परियोजना एवं परिपथ का नाम**	**केंद्रीय एजेंसी**	**स्वीकृति का वर्ष**	**अनुमोदित लागत (रुपए)**

1	चेन्नई बंदरगाह पर मौजूदा यात्री टर्मिनल में क्रूज यात्री सुविधा केंद्र।	चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट	2016-17	1724.66 लाख

****